आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 978/2023 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

1. मैसर्स एम के एन्टरप्राईजेज द्वारा पार्टनर श्री राजीव तोदवाल, महेश कुमार चौधरी एण्ड राघव खण्डेलवाल निवासी चीथवाडी मोड, ग्राम चीथवाडी तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. मैसर्स सीताराम, बद्रीनारायण मावावाले द्वारा पार्टनर बद्रीनारायण तोदवाल, एवं बाबूलाल तोदवाल 116, गोपला जी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर ।
3. बाबूलाल तोदवाल पुत्र श्री सीताराम तोदवाल
4. बद्रीनारायण तोदवाल पुत्र श्री सीताराम तोदवाल
5. श्रीमती शोभा गुप्ता पत्नी श्री बाबूलाल तोदवाल
6. श्री राघव खण्डेलवाल पुत्र श्री बद्रीनारायण तोदवाल
7. मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री सीताराम तोदवाल
8. राजेश कुमार तोदवाल पुत्र श्री बद्रीनारायण तोदवाल

   निवासी 908, नाटाणी स्ट्रीट एस एम एस हाईवे त्रिपोलिया बाजार, जयपुर ।

प्रार्थी ऋणी

बनाम

पेगासूस एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन प्रा॰ लि॰ रजिस्टर्ड कार्पोरेट ऑफिस 55 व 56, पांचवी मंजिल, फ्री प्रेस हाउस नरीम पाईन्ट, मुम्बई।

अप्रार्थी बैंक

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र बाबत आदेश दिनांक 31.08.2023 को रिकाल/रिव्यू करने ।

उपस्थित–

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री सारांश सक्सेना अधिवक्ता अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 20.08.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 839/2022 (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट) ब उनवानी पेगासूस एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन प्रा॰ लि॰ बनाम मैसर्स एम के एन्टरप्राईजेज में पारित आदेश दिनांक 31.08.2023 को रिव्यु/ रिकाल किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर वर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय संस्था को नोटिस जारी किया गया । मूल मिसल शामिल की गई। अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से श्री सार्थक सक्सेना ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि धारा 13 (2) सरफेशी अधिनियम 2002 के तहत नोटिस उस स्थिति में जारी किया जा सकता है जबकि खाता एन पी ए के रूप में वर्गीत किया गया हो जबकि इस मामले में खाता एन पी ए के रूप में वर्गीत नहीं किया गया । प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार आदेश पारित किये जाने के पहले दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, किन्तु प्रार्थीगण को धारा 14 सरफेशी एक्ट पर आदेश पारित किये जाने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया है। धारा 14 के तहत आवेदन का निस्तारण किये जाने से पूर्व बन्धक के ट्रान्जेक्शन व एन पी ए की घोषणा की जांच किया जाना आवश्यक है। इसलिए दिनांक 31.08.2023 को पारित किये गये आलौच्य आदेश को रिव्यु/रिकाल किया जाकर धारा 14 के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जावे।

5. अप्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र कानूनी रूप से सही एवं सत्य तथ्यों पर पेश किया गया है। जिसमें वित्तीय संस्था के द्वारा न तो किसी तथ्य को छिपाया गया है और ना ही मिथ्या तौर पर कोई तथ्य अंकित किया गया है। यहां यह कहना भी आवश्यक है कि प्रार्थी द्वारा आवेश दिनांक 31.08.2023 सही तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया है जो किसी भी प्रकार से रिकाल नहीं किया जा सकता । धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट या सीएमएम को ऋणी पक्ष की सुनवाई किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थी का रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. वित्तीय संस्था द्वारा दिनांक 26.07.2023 को धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया था। जिस पर अप्रार्थी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 31.08.2023 को पारित किये जा चुके है। सरफेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश में रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऋणी द्वारा जो बिन्दू रिव्यु प्रार्थना पत्र में उठाये गये है उनको तय किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। ऋणी माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फलस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु/रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक **20.08.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर